कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)

/ /आदेश / /

क्रमांक 472/दो–12–18/2006,   जांजगीर, दिनांक 31/03/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के परिणामस्वरूप माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी अतिरिक्त मार्गदर्शिका 353/II-15-08/2014(Pt.B.)/ Confdl/ 2020 Bilaspur Dated 18 March 2020 एवं पृष्ठांकन क्रमांक–354/ II-15- 08 / 2014 (Pt.B.)/ Confdl/2020 Bilaspur Dated 18 March 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक–40(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 26 March 2020 के परिप्रेक्ष्य मे एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के सभी न्यायालयों में **जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत कथन, स्टे प्रदान करने हेतु आवेदन तथा ऐसे अन्य अतिआवश्यक मामलों को छोडकर,** लंबित न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण दिनांक 19/03/2020 से 31/03/2020 तक की तिथियों में आगामी तिथि दिनांक 03/04/2020 से 20/04/2020 एकमुश्त रूप से प्रदान की गयी थी।

इसी प्रकार न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरणो को छोडकर शेष सभी व्यवहार प्रकरण एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 19/03/2020 से 31/03/2020 तक नियत सभी प्रकरणों को एकमुश्त रूप से दिनांक 15/04/2020 से 29/04/2020 तक की आगामी तिथि दी गयी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 4094/ D.E./2020 Bilaspur Dated 26/03/2020 के तहत मुख्य सचिव छ0ग0 शासन, रायपुर द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1211/मु.स./2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मार्च 2020 जारी किया गया है, जिसमें भारत सरकार के आदेश क्रमांक 1729/2020/ PP(Pt.II)दिनांक 24/03/2020 एवं आदेश क्रमांक 40–3/2020, दिनांक 24/03/2020 के तहत सम्पूर्ण राष्ट्र में 21 दिन अर्थात दिनांक 14 अप्रेल 2020 की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन किया गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि लंबित न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण एवं अन्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में एकमुश्त अग्रिम तिथि दी जावे।

31.3.20

अतः सम्पूर्ण भारत में दिनांक 14 अप्रेल 2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के सभी न्यायालयों में लंबित न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण जो दिनांक 01 अप्रेल 2020 से दिनांक 14/04/2020 तक नियत हैं, उनमें निम्न तिथियों के प्रकरण को निम्न आगामी तिथि दी जा सकती हैः

कमांक	नियत दिनांक	आगामी तिथि जिसमें प्रकरण लिये जायेंगे
1	01/04/2020	15/04/2020
2	03/04/2020	16/04/2020
3	04/04/2020	17/04/2020
4	07/04/2020	20/04/2020
5	08/04/2020	21/04/2020
6	09/04/2020	22/04/2020
7	13/04/2020	23/04/2020

नोटः यदि कोई सत्र प्रकरण 2 या 3 दिनों के लिये नियत है, तब उस सत्र प्रकरण के प्रथम दिवस की तिथि को आगामी तिथि ज्ञात करने के लिये माना जावेगा।

इसी प्रकार दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 13/04/2020 तक लंबित सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण (जो न्यायिक अभिरक्षा के बंदियों के प्रकरण नहीं हैं) वे प्रकरण निम्न तिथि के प्रकरण निम्न तिथि पर लिये जा सकते हैंः–

कमांक	नियत दिनांक	आगामी तिथि जिसमें प्रकरण लिये जायेंगे
1	01/04/2020	01/05/2020
2	03/04/2020	02/05/2020
3	04/04/2020	04/05/2020

31.3.20

4	07 / 04 / 2020	05 / 05 / 2020
5	08 / 04 / 2020	06 / 05 / 2020
6	09 / 04 / 2020	07 / 05 / 2020
7	13 / 04 / 2020	08 / 05 / 2020

अतः सभी पक्षकारों यहां तक कि गवाहों एवं अधिवक्ताओं से भी निवेदन है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा में नियत उक्त सभी प्रकरण उक्त अनुसार दिनांकों को लिये जायेंगे। अतः वे इस संबंध में अपने सभी पक्षकारों को सूचित करने का कष्ट करें। लेकिन सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्रस्तुत होने वाली **जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत कथन, स्टे प्रदान किये जाने हेतु आवेदन तथा ऐसे अन्य अति–आवश्यक मामले** पूर्ववत ग्रहण किये जायेंगे और निराकृत किये जायेंगे, लेकिन कोई भी मामला अतिआवश्यक (Extremely urgent Case) है या नहीं? यह निर्धारित करने का कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा(छ0ग0) द्वारा किया जावेगा। इस हेतु आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुदीप नाग के मोबाईल फोन नम्बर 8889843171 में बतायेंगे कि उनका उक्त आवेदन किस प्रकार Extremely urgent Case है?

नोटः **जिनके मोबाईल नम्बर प्रकरण में उपलब्ध है, उन्हें पृथक से एस0एम0एस0द्वारा सूचना भेजी जा रही है, लेकिन तकनीकी त्रुटि आने की स्थिति में यह सम्भव हो सकता है कि एस0एम0एस0 न प्राप्त हो सके।**

31.3.20

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपिः

पृ0क्र0 473 / दो–12–18 / 2006, जांजगीर, दिनांक 31 / 03 / 2020

1– प्रथम / द्वितीय / तृतीय,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर / सक्ती।

2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0) जांजगीर।

31.3.20

3— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो(एफ0टी0सी0) सक्ती।

4— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—01 जांजगीर/सक्ती/अकलतरा/चांपा

5— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 जांजगीर/चांपा/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

6— प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जांजगीर/अकलतरा/चांपा/सक्ती/डभरा/ जैजैपुर/ मालखरौदा/पामगढ/नवागढ

7— अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, जांजगीर/चांपा/अकलतरा/पामगढ/नवागढ/सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा।

8— शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जांजगीर/अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर/सक्ती

9— जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जांजगीर

10— अधीक्षक जिला जेल जांजगीर/उपजेल सक्ती।

11— प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, जांजगीर—चांपा।

31.3.20

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)